



## उत्तर प्रदेश जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ विज्ञप्ति

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश में राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण का गठन किया गया है जिसका कार्यालय जल निगम के प्रशिक्षण केन्द्र 2-लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर सृजित है। योजनाओं के क्रियान्वयन एवम् संपादन हेतु सविदा पर रखे जाने वाले पदों हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्राधिकरण हेतु वांछित पद	पदों की संख्या
1	वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (सिविल)	1
2	वरिष्ठ अभियन्ता (सिविल), नदी विशेषज्ञ	1
3	सहायक जी.आई.एस. विशेषज्ञ	1
4	कम्प्यूटर आपरेटर	6
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6
6	टेलीफोन आपरेटर कम रिसैप्शनिस्ट	2

**1. वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (सिविल) के पद हेतु योग्यता-** सरकार द्वारा मान्यता किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि या सिविल अभियंत्रण में अभियन्ता संस्था (भारत) (इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, इण्डिया) की सहयुक्त सदस्यता/सदस्यता परीक्षा (एसोसियेट मेम्बरशिप) का “ए” और “बी” उत्तीर्ण हो तथा किसी राजकीय विभाग/निगम व शासकीय सहायता प्राप्त संस्था से अनवरत 25 वर्ष की सेवा की हो तथा जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था व पेयजल शोधन संबंधी सेवाओं का अनुभव प्राप्त अभियन्ता को वरीयता दी जायेगी।

ब- आयु सीमा- 1 जुलाई, 2011 को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर सेवारत अभ्यर्थियों को 50 वर्ष तथा शासकीय विभाग व अर्द्धशासकीय विभाग से न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता के पद से सेवानिवृत्त सिविल अभियन्ता को 62 वर्ष।

स- वेतन- सविदा की अवधि में सेवारत अभ्यर्थी को प्राप्त हो रहे कुल वेतन के बराबर तथा सेवानिवृत्त अभ्यर्थी द्वारा आहरित किये गये अंतिम वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) तथा प्राप्त की जा रही पेंशन (राशिकरण से पूर्व की पेंशन + मंहगाई राहत) के अंतर के बराबर की धनराशि प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। पारिश्रमिक की इस धनराशि पर अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

द- संविदा पर कार्य करने की अवधि एक वर्ष होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकती है।

**2. वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (सिविल) नदी विशेषज्ञ के पद हेतु योग्यता-** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि या सिविल अभियंत्रण में अभियन्ता संस्था (भारत) (इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, इण्डिया) की सहयुक्त सदस्यता/सदस्यता परीक्षा (एसोसियेट मेम्बरशिप) का “ए” और “बी” उत्तीर्ण हो तथा किसी राजकीय विभाग/निगम व शासकीय सहायता प्राप्त संस्था से अनवरत 25 वर्ष की सेवा की हो तथा नदी संरक्षण संबंधी सेवाओं का अनुभव प्राप्त अभियन्ता को वरीयता दी जायेगी।

ब- आयु सीमा- 1 जुलाई, 2011 को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर सेवारत अभ्यर्थियों को 50 वर्ष तथा शासकीय व अर्द्धशासकीय विभाग से न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता के पद से सेवानिवृत्त सिविल अभियन्ता को 62 वर्ष।

स- वेतन- संविदा की अवधि में सेवारत अभ्यर्थी को प्राप्त हो रहे कुल वेतन के बराबर तथा सेवानिवृत्त अभ्यर्थी द्वारा आहरित किये गये अंतिम वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) तथा प्राप्त की जा रही पेंशन (राशिकरण से पूर्व की पेंशन + मंहगाई राहत) के अंतर के बराबर की धनराशि प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। पारिश्रमिक की इस धनराशि पर अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

द- संविदा पर कार्य करने की अवधि एक वर्ष होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकती है।

**3. सहायक जी.आई.एस. विशेषज्ञ के पद हेतु योग्यता-** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइन्स से स्नातक तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा स्टोरेज, जी.आई.एस. व सर्वेक्षण, आटो कैड आदि में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

अ- आयु सीमा 1 जुलाई, 2011 को 35 वर्ष

ब- वेतन- समस्त भत्तों आदि सहित रु. 30,000/- प्रतिमाह।

स संविदा पर कार्य करने की अवधि एक वर्ष होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकती है।

4. कम्प्यूटर ऑपरेटर के 6 पदों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पदों हेतु किसी संस्था के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्ति निम्न योग्यता के अनुसार किया जाना है:-

(i). कम्प्यूटर ऑपरेटर की पद हेतु योग्यता- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से स्नातक तथा कम्प्यूटर पर कार्य करने का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई कोर्स किया हो। Micro soft word/ Excel/ Power Point/ Windows में कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी/इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

अ- **आयु सीमा** 1 जुलाई, 2011 को 30 वर्ष। अनु. जाति व जन जाति के लिये 35 वर्ष।

ब- **वेतन**- समस्त भत्तों व सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था के चार्जेज सहित रु. 10,000/- प्रतिमाह प्रति ऑपरेटर।

स- संविदा पर कार्य करने की अवधि एक वर्ष होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकती है।

क- कुल 6 पदों में से एक पद अनु. जाति व जन जाति एक पद पिछड़ी जाति, दो पद सामान्य वर्ग के पुरुष व दो पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित माने जायेंगे।

(ii) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु योग्यता - न्यूनतम कक्षा 10 पास।

अ- **आयु सीमा** 1 जुलाई, 2011 को 25 वर्ष। अनु. जाति व जन जाति के लिये 30 वर्ष।

ब- **वेतन**- समस्त भत्तों व सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था के चार्जेज सहित रु. 6,000/- प्रतिमाह प्रति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

स- संविदा पर कार्य करने की अवधि एक वर्ष होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकती है।

क- कुल 6 पदों में से एक पद अनु. जाति व जन जाति एक पद पिछड़ी जाति एवं 4 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित माने जायेंगे।

5- टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसैशनलिस्ट के 2 पदों हेतु योग्यता- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त तथा Mass Communication/ Journalism का डिप्लोमा प्राप्त कम्प्यूटर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में वार्ता करने का ज्ञान रखने तथा कार्यालय संचालन व पत्रावली व डाक आदि प्राप्त करने व भेजने आदि का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

अ- **आयु सीमा** 1 जुलाई, 2011 को 30 वर्ष।

ब- **वेतन**- समस्त भत्तों सहित रु. 12,000/- प्रतिमाह प्रति टेलीफोन कम रिसैशनलिस्ट।

- स- संविदा पर कार्य करने की अवधि एक वर्ष होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकती है।
- क- कुल 2 पदों में से एक पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित होगा।

इसके अतिरिक्त संविदा पर कार्य करने हेतु चयनित सभ्यर्थी को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर 100/- (रुपये सौ मात्र) के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी के साथ रु. 40000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) का एक इण्डीमिनिटी बाण्ड (Indemnity Bond) निष्पादित करना होगा।

जो अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक को अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों एवं जिनकी आयु निर्धारित आयु सीमा से अधिक न हो, निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ सीधे प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश जल निगम, 2, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 18.07.2011 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक उपस्थित होना होगा।

आवेदन पत्र A-4 साइज के कागज पर स्वच्छ टंकित होना चाहिये व आवेदन पत्र मुख्य अभियन्ता (गंगा), उत्तर प्रदेश जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सम्बोधित होना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अंक तालिका (Marks sheets) सम्बन्धित प्रमाण पत्रों (Certificates) एवं शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां (Attested Copies) संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक तथा मोहर पठनीय होनी चाहिये। दिनांक 18.07.2011 से पूर्व भरे आवेदन पत्र मुख्य अभियन्ता (गंगा), उत्तर प्रदेश जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त कराये जा सकते हैं।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसे अवलोकन के उपरान्त लौटा दिया जायेगा।

**उ.प्र. राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (सिविल)/वरिष्ठ अभियन्ता (सिविल), नदी विशेषज्ञ/सहायक जी.आई.एस. विशेषज्ञ/कम्प्यूटर ऑपरेटर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/टैलीफोन ऑपरेटर कम रिसैप्शनिस्ट (संविदा) के पद पर संविदा पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

नवीनतम  
पासपोर्ट साइज  
का स्वयं का  
फोटोग्राफ

1. पद का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है .....
2. अभ्यर्थी का नाम .....
3. पिता / पति का नाम .....
4. जन्म तिथि .....
5. वर्तमान पता (दूरभाष सहित) .....
6. स्थाई पता .....
7. गृह जनपद .....
8. शैक्षिक एवम् तकनीकी योग्यता :
 

परीक्षा का नाम	संस्था अथवा विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांको का प्रतिशत
9. श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) .....

10. उत्तर प्रदेश जल निगम में अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961  
के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण, यदि हो तो .....

11. वर्तमान सेवायोजक का नाम व पता .....

यदि सेवारत हो तो .....

अनुभव, यदि हो तो .....

दिनांक.....

स्थान.....

( अभ्यर्थी के हस्ताक्षर )

## प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

### शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्र संख्या 67/2021-0094/2011 दिनांक 06.07.2011 द्वारा राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण में संविदा पर स्टाफ तैनाती सम्बन्धी विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी जिसमें बिन्दु संख्या 4 पर अंकित कम्प्यूटर ऑपरेटर के छः पदों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए छः पदों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत मान्यता प्राप्त संस्था के माध्यम से नियुक्ति की जानी है।

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संस्था का साक्षात्कार लिया जाना है उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का प्रार्थना पत्र चयनित संस्था द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अतः उक्त पदों हेतु दिनांक 18.07.2011 को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। शेष पदों पर तैनाती हेतु व्यवस्था पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार ही होगी।